तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 230 / 2024 भगवाना बनाम लक्ष्मीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री अजपाल डिढारिया, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 08–02–2024

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2024 को प्रकरण संख्या 03 / 2023 में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी के प्राथमिक आपत्ति, एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गयी।

निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 15 से 22 के पिता महाबक्साराम / वादी ने वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 53 व 188 आरटीए न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14–09–2011 को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए किंतु विद्वान तहसीलदार द्वारा दिनांक 03–05–2013 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति होने पर दिनांक 11–03–2015 को पुनः विभाजन प्रस्ताव के आदेश पारित करने पर दिनांक 16–04–2015 को पुनः विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिस पर वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव नहीं होने पर आपत्ति प्रस्तुत की जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी की आपत्ति को खारिज करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–04–2015 के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 17–01–2023 को अपील में केवियटकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपने कारण रहित आदेश द्वारा प्रार्थी का स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। उनका मुख्य तर्क यह रहा है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र को प्रकरण के तथ्यों को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 230 / 2024 भगवाना बनाम लक्ष्मीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दृष्टिगत रखते हुए स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, के आधार पर कारण रहित आदेश द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज कर त्रुटि कारित की है क्योंकि यदि प्रथम अपील में स्थगन नहीं दिया जाएगा तो रेस्पो0 विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना करवाकर मौके पर प्रार्थी को जबरन बेदखल कर देगा, जिससे अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद व वाद बाहुल्यता बढ़ती है किंतु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का दुरूपयोग करते हुए कारणरहित आदेश द्वारा अंतर्गत आदेश निगरानी पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। उनका तर्क है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष अंतिम डिक्री हेतु प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव जो माननीय न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के विपरीत जो प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर तथा विभाजन प्रस्ताव में अंकित तथ्यों को नजरअंदाज कर अंतिम डिकी जारी की गई है, को अनदेखा कर जो आदेश पारित कर त्रुटि कारित की है। उनका तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी का स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज कर अप्रार्थीगण को विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना करवाने की खुली छूट प्रदान कर दी है तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल करने व वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने की स्वतंत्रता अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अंतर्गत आदेश निगरानी पारित कर दी है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2023 को निरस्त कर विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय / डिक्री दिनांक 24–11–2022 की पालना, प्रभाव को स्थगित कर मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने अभिभाषक प्रार्थी की ओर से की गई बहस का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 17–01–2023 को जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित है। प्रश्नगत प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी हो चुकी है तथा एक खातेदार के विरूद्ध स्थगन दिया जाना उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है तथा हस्तगत निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से मण्डल में पोषणीय नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 230 / 2024 भगवाना बनाम लक्ष्मीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा निगरानी के प्राथमिक आपत्ति, एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2023 में अंकित किया गया है कि पत्रावली पेश प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो तहत का रिकॉर्ड तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15–02–2023 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उपर वर्णित आदेश जारी किया है जबकि अंतिम डिक्री के लिए प्राप्त प्रस्ताव में कुल भूमि 9.27 है0 में से एक पक्ष को 4.61 है0 तथा दूसरे पक्ष को 4.33 है0 भूमि प्रदान की गई है। इस विभाजन में संपूर्ण भूमि तो पूर्ण हो जाती है परंतु पक्षकारान के मध्य विभाजन युक्तिसंगत समान रूप से नहीं प्रकट हो रहा है। परिणामस्वरुप हस्तगत निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज की जाती है तथा अंतर्गत धारा 221 आरटीए की शक्तियों को प्रयोग करते हुए वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेश दिए जाते हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षों को सुन कर स्थगन पर पुनः विधि अनुसार एक माह के अन्दर उचित निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष दिनांक 26–02–2024 को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति लेकर सुनवाई हेतु उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	